अतिआवश्यक—कोविड—19

राजस्थान—सरकार

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

दिनांक 20/4/2020

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/3161

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है। जिसके मध्यनजर गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में दिनांक 03.05.2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

सवाई माधोपुर जिलें में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियन्त्रण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश क्रमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण जिले मे धारा 144 लागू की जा चुकी है।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक कोविड—19/वार रूम/12727 दिनांक 11.04.2020 एवं राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 09.04.2020 सभी व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है, के क्रम मे आदेश क्रमांक F–8( ) DM&RD/DM/COVID-19/2020/5014-21 Dated 19-04-2020 के द्वारा आदेश की अवेहलना करने पर दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा।

अतः मैं नन्नूमल पहाड़िया (I.A.S) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर तत्काल प्रभाव से आदेश देता हूँ कि—

1. **कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले की राजस्व सीमा में निवासरत समस्त व्यक्तियों के लिये सार्वजनिक रूप से मास्क पहनना अनिवार्य है।**
2. **यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश की अवेहलना करेगा तो दोषी व्यक्ति को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत एक साल तक की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनो से दण्डित किया जायेगा।**
3. **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानाधिकारी, भू अभिलेख निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, आयुक्त नगरपरिषद् एवं सचिव कृषि उपज मंडी सवाई माधोपुर आदि उक्त आदेश की अक्षरशः पालना करावे।**

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2020 से तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेशों तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 20.04.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया है।

20.04.2020

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/3162 - 3172 दिनांकः- 20/4/2020

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर।
2. अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।
4. उप जिला मजिस्ट्रेट/ मलारनाडूँगर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बामनवास/बौली/खण्डार/चौथ का बरवाड़ा/वजीरपुर
5. तहसीलदार मलारनाडूँगर/सवाईमाधोपुर/गंगापुरसिटी/बामनवास/बौली/खण्डार/चौथ का बरवाड़ा/वजीरपुर
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
7. आयुक्त नगर परिषद सवाईमाधोपुर/गंगापुर सिटी।
8. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति सवाई माधोपुर/गंगापुर।
9. प्रभारी अधिकारी वाररूम/कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर।
10. सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
11. निजी सहायक जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर

20.04.2020

जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर